चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :– सम्बद्धता / 134
दिनांकः– 15 जनवरी, 2009

सचिव,
गॉधी इन्सटीट्यूशन ऑफ प्रफेक्ट टीचिंग स्टडीज (फॉर गर्ल्स),
नंगला शेर खॉ, मेरठ

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–4123 / सत्तर–2–2008–2(134) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **गॉधी इन्सटीट्यूशन ऑफ प्रफेक्ट टीचिंग स्टडीज (फॉर गर्ल्स), नंगला शेर खॉ, मेरठ** को **बी0एड0** पाठ्यक्रम में **100 अतिरिक्त सीटों** की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी हैः–

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता का सुनिश्चित करेगी एंव परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी ।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एंव विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।
4. प्रश्नगत पाठ्यकम में प्रवेश के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि महाविद्यालय / संस्था आवश्यक अवस्थापना सुविधायें एंव मानकानुसार शिक्षकों का चयन / अनुमोदन पूरा कर लेगी और इस आशय की सूचना शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा ।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्तय उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **गॉधी इन्सटीट्यूशन ऑफ प्रफेक्ट टीचिंग स्टडीज (फॉर गर्ल्स), नंगला शेर खॉ, मेरठ** को **बी0एड0** पाठ्यकम में **100 अतिरिक्त सीटों** की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है । इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यकम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जाऐगें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. डा0 आई0आर0एस0 सिन्धु, समन्वयक बी0एड0 प्रवेश को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव